NRrhlx< 'kklu
foRr foHkkx

i:l foKfIr fnukd 23-02-2013

ctV 2013&14

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जो कि वित्त मंत्री भी हैं, ने आज वित्तीय **o"k 2013&14 d fy; 44]169 djkM dk ctV vuqeku iLrqr fd;k**। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि का द्वितीय बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट का उद्‌देश्य कमजोर वर्गो का कल्याण एवं अधिक समावेशी विकास है । जनकल्याणकारी एवं उत्तरदायी प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध शासन का मूल मंत्र अंत्योदय है ।

2. गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न सहायता योजना को कानूनी अधिकार का स्वरूप प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू किया गया है । नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है । इस अधिनियम के लागू होने से लगभग 42 लाख गरीब परिवारों को अत्यन्त रियायती दर पर तथा 8 लाख सामान्य परिवारों को ए.पी.एल. दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा । इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2000 करोड़ का प्रावधान आगामी वर्ष के लिये किया गया है ।

3. इस बजट के साथ दूसरी बार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए अलग से **df"k ctV** प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इसे राज्य के कृषकों को समर्पित किया है । **df"k {k= d fy, dy 8]542 djkM dk iko/kku g] tk xr o"k dh rqyuk e 37 ifr'kr vf/kd gA fdlkuk d fgr dk lokifj j[kr g, ipfyr vkfFkd enh ,o dfBu foRrh; fLFkfr d ckotn o"k 2012&13 e mikftr /kku ij 270 :i, ifr fDoVy dh nj l ckul fn;k tk,xk A bl gr bl ctV e 1750 djkM dk iko/kku fd;k x;k gA** कृषि बजट में कृषि एवं उद्यानिकी के लिए 1,656 करोड़, पशुपालन के लिये 340 करोड़, सिंचाई के लिए 2,010 करोड़, धान उपार्जन के लिए 3102 करोड़ तथा कृषि पंपों के लिये 386 करोड़ प्रमुख हैं।

कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये इसे मिशन मोड के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा । ग्रीष्मकालीन धान के विकल्प के रूप में दलहन, तिलहन तथा मक्का की खेती के लिये विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी । राज्य पोषित सुक्ष्म सिंचाई प्रोत्साहन योजना के प्रावधान में वृद्धि कर इसे 37 करोड़ किया गया है । परम्परागत गौ पालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्य हेतु कृषकों को अधिकतम 1 लाख तक का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर दिए जाने की योजना लागू है। अब इस योजना का विस्तार करते हुए 1 लाख से 3 लाख तक ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

केले की खेती को बढ़ावा देने के लिये टिशुकल्चर लैब की स्थापना की जाएगी । आगामी वर्ष में मैनपाट में आलू अनुसंधान केन्द्र खोला जाएगा । प्रदेश में 5 कृषि, 1 उद्यानिकी, 1 पशु चिकित्सा महाविद्यालय एवं 3 पशु चिकित्सा पॉलीटेक्निक खोले जाएंगे ।

4- <u>ctV ,d utj esa</u>

¼jkf'k ₹ djksM+ esa½

Ø-	ens	2012&13 ¼iqujhf{kr vuqeku½	2013&14 ¼ctV vuqeku½	ifr'kr o`f)
1-	कुल आय	**36]913**	**43]977**	19
	अ. राज्य का राजस्व	18,009	21,372	19
	ब. केन्द्र से प्राप्त राजस्व	14,317	16,072	12
	स. ऋणों की वसूली	1,576	1,579	0.2
	द. ऋण	3,011	4,953	65
2-	कुल व्यय	**38]493**	**44]169**	**15**
3-	बजटीय घाटा (अ + ब) अ. चालू वर्ष का घाटा ब. पूर्व वर्षो का घाटा	1,485 1,580 –95	1,677 192 1,485	13 –88 1673
4-	सकल वित्तीय घाटा = 2 – (1 अ + 1 ब + 1 स)	**4]590**	**5]145**	**12**

5. राज्य के कर राजस्व में 16 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित करते हुये **2]429 djksM+ dk jktLo vkf/kD; dk ctV iLrqr fd;k x;k gS] ftldk mi;ksx ctV esa lfEefyr iwathxr enksa ds fy;s fd;k tk,xkA o"kZ 2012&13 ds iqujhf{kr vuqeku dh rqyuk esa bl ctV esa izko/kkfur dqy O;; 15 ifr'kr vf/kd gSA o"kZ 2013&14 ds fy;s 'kq) ctVh; ?kkVk 192 djksM+ gS ,oa iwoZ o"kksZa ds lafpr ?kkVk dks 'kkfey djrs gq;s o"kZ 2013&14 ds fy;s ctV ?kkVk 1]677 djksM+ gSA ctV esa **ldy foRrh; ?kkVk** ¼_.k izkfIr dks NksM+dj jkT; dh ldy vk; ,oa ldy O;; dk vUrj½ 5]145 djksM+ vuqekfur fd;k x;k gS] tks fd jkT; dh ldy ?kjsyw mRikn dk 3 ifr'kr gS**। यह वित्तीय घाटा ''छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम'' में निर्धारित सीमा के अनुरूप है।

6. कुल व्यय में से आयोजना व्यय (Plan Expenditure) 24,699 करोड़ है, **tks fd pkyw o"kZ ds vk;kstuk O;; dh rqyuk esa 9 ifr'kr vf/kd gS ,oa dqy O;; dk 56 ifr'kr gSA** आयोजना व्यय में सामान्य आयोजना के लिये 54 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये 35 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु 11 प्रतिशत प्रावधान है ।

7. **lkekftd {ks= ds fy;s lokZf/kd izko/kku ¼17]761 djksM+½ fd;k x;k gS**, जो कि कुल व्यय का 41 प्रतिशत है एवं गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत, कुल बजट में स्कूल शिक्षा के लिये 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के लिये 8 प्रतिशत, नगरीय विकास के लिये 5 प्रतिशत, स्वास्थ्य के लिये 4 प्रतिशत एवं महिला एवं बाल विकास के लिये 3 प्रतिशत राशि रखी गई है । मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

Ldwy f'k{kk %&

- स्कूल शिक्षा विभाग के 50 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में एवं 150 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाएगा ।
- 100 हायर सेकेण्डरी स्कूल का भवन निर्माण किया जायेगा ।
- अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये मूलभूत सुविधा निर्मित करने के 125 करोड़ एवं अशासकीय स्कूलों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 45 हजार अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।
- मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों के मानदेय में 200 रूपये की वृद्धि की जायेगी ।
- शालाओं में पेयजल एवं शौचालय के लिये 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

mPp ,oa rduhdh f'k{kk %&

- आई.टी.आई. में अध्ययनरत बीपीएल प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह दी जाने वाली छात्रवृत्ति रूपयें 100 एवं 125 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये प्रतिमाह की जायेगी तथा बीपीएल परिवार से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परिवार की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जायेगा ।
- उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु 16 नवीन महाविद्यालय, अंबिकापुर में विज्ञान महाविद्यालय तथा भाटापारा में विधि महाविद्यालय स्थापित किए जायेगे ।
- मुंगेली, सुकमा, रामानुजगंज में पॉलिटेक्निक, बैकुण्ठपुर, देवभोग, डौण्डी, रामचन्द्रपुर, सरायपाली, पामगढ़ एवं पण्डरिया में 07 आई.टी.आई. एवं रायगढ़ तथा रायपुर में 02 कम्यूनिटी कॉलेज स्थापित किए जायेंगे ।

efgyk ,oa cky fodkl %&

- आई.सी.डी.एस. के वित्तीय मापदण्डों में वृद्धि के फलस्वरूप पूरक पोषण आहार योजना के प्रावधान में वृद्धि कर 459 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- छः माह से तीन वर्ष के कुपोषित बच्चों के देखभाल, उन्हे संतुतिल गर्म पका आहार देने के लिए राज्य पोषित फुलवारी केन्द्र संचालित किए जायेंगे । इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है ।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को वर्तमान में दिए जा रहे मानदेय में शासन के हिस्से के रूप में देय 500 तथा 250 रूपयें को बढ़ाकर क्रमशः 1000 एवं 500 रूपयें किया जायेगा ।

- 1533 आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं 1050 आंगनबाड़ी भवनों के उन्नयन के लिए 42 करोड़ का प्रावधान है ।

- महिला कोष से महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है । अब योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जायेगा । साथ ही बैंकों से भी 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी जिसके लिए राज्य शासन द्वारा बैंको को ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

lekt dY;k.k %&

- मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना हेतु 36 करोड़ का प्रावधान है ।

- बिलासपुर में स्थापित ब्रेल–प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है ।

vu|lfpr tkfr ,o tutkfr dY;k.k %&

- **vu|lfpr tkfr] tutkfr ,o vU; fiNMk oxl d Ldiyh Nk=k dk nh tku okyh jkT; Nk=ofRr dh ipfyr nj dk nxuk fd;k tk;xk A**

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के 50 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में, 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाएगा ।

- अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए 77 छात्रावास तथा 20 आश्रम शालाएं खोले जायेगें एवं आश्रम शालाओं तथा छात्रावासों में 5305 सीट की वृद्धि की जाएगी ।

- प्रदेश में 05 नये कन्या शिक्षा परिसर स्थापित किए जायेंगे ।

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्राओं के लिए संचालित सभी शेष भवन विहीन 90 छात्रावास एवं आश्रम शालाओं के लिए भवन निर्माण किया जायेगा ।

- कन्या छात्रावासों एवं आश्रम शालाओं में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1000 महिला नगर सैनिक तैनात की जायेगी ।

- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत योजना का विस्तार करते हुए सरगुजा एवं बस्तर संभाग में 250 सीटर ''प्रयास आवासीय विद्यालय'' आरंभ किया जायेगा ।

LokLF; %&

- इस बजट में 20 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 25 उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ किए जायेंगे ।

- सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी मरीजों के लिए निःशुल्क जेनेरिक दवाईयॉं उपलब्ध कराई जायेगी ।
- 06 सामुदायिक उपस्वास्थ्य केन्द्र 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 140 उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रावधान है ।
- मोबाईल मेडिकल यूनिट का विस्तार सभी 85 अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड़ों में किया जावेगा ।
- संजीवनी कोष का विस्तार करते हुए प्रचलित 13 बीमारियों के अतिरिक्त 17 अन्य बीमारियों हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है ।
- प्रदेश में सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जावेगी ।
- 06 जे.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र तथा 03 ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जायेंगे ।

i;ty %&

- 14 नगरीय एवं 3 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं हेतु 1.70 करोड़ का प्रावधान है।
- समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल, नलकूप खनन एवं स्पॉट सोर्स योजनाओं के लिये 36 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय हेतु 124 करोड़ का प्रावधान है ।

uxjh; fodkl %&

- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार नगरीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 1.85 प्रतिशत दिया जाएगा, जिसके लिये 436 करोड़ का प्रावधान है।
- नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं एवं अधोसंरचना विकास के लिये 725 करोड़ का प्रावधान है ।
- राजीव आवास योजना हेतु 219 करोड़ का प्रावधान है ।
- भागीरथी नल जल योजना हेतु 24 करोड़ का प्रावधान है ।

8. **vkfFkZd {ks= dk fgLlk 17]711 djksM+ dk izko/kku fd;k x;k gS] tks fd dqy O;; dk 41 izfr'kr gS ,oa xr o"kZ dh rqyuk esa 19 izfr'kr vf/kd gSA** इस क्षेत्र के अंतर्गत, कुल बजट से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिये 10 प्रतिशत, ग्रामीण विकास के लिये 9 प्रतिशत, लोक निर्माण के लिये 8 प्रतिशत एवं सिंचाई के लिये 6 प्रतिशत राशि रखी गई है । मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

[kk| ,o ukxfjd vkifr! %&

- पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चना एवं पीली मटर दाल वितरण योजना हेतु 289 करोड़ एवं 550 उचित मूल्य दुकान सह–गोदाम निर्माण हेतु 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- 50 दालभात केन्द्रों के लिए प्रावधान किया गया है ।

xkeh.k fodkl %&

- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना हेतु 500 करोड़ एवं मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है ।
- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्धकर राजस्व का 6.15 प्रतिशत दिया जायेगा । इस अनुदान हेतु 701 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री जनपद सशक्तीकरण योजना हेतु 146 करोड़ एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण को 50 करोड़ का प्रावधान शामिल है ।
- राजीव गांधी ग्राम पंचायत सशक्तीकरण अभियान हेतु 113 करोड़ का प्रावधान है ।
- विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है ।

ykd fuek.k %&

- सड़कों के संधारण हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान है ।
- 74 पुलों एवं 06 फ्लाई ओवर पुल निर्माण हेतु 57 करोड़ का प्रावधान है ।
- 103 मुख्य जिला सड़क, राज्य राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़को के निर्माण हेतु 145 करोड़ का प्रावधान है।

flpkbl %&

- 90 लघु सिंचाई एवं 242 एनिकट निर्माण योजनाओं हेतु 127 करोड़ का प्रावधान है ।
- अरपा भैंसाझार वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु 50 करोड़, केलो वृहद् सिंचाई परियोजना हेतु 60 करोड़, हसदेव बांगो वृहद् सिंचाई परियोजना के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है ।

ou %&

- बिगड़े वनों एवं बांस वनों के सुधार हेतु 179 करोड़ का प्रावधान है ।
- इमारती लकड़ी एवं बांस के विक्रय से प्राप्त आय में से वन प्रबंधन समितियों को लाभांश हेतु 34.50 करोड़ का प्रावधान है ।

Åtk ½&

- **,dy cRrh fo|r duD'ku ;ktuk e chih,y ifjokjk d fy, 30 ;fuV ifrekg fu'kYd fctyh dk c<kdj 40 ;fuV ifrekg fd;k tk;xk A**
- मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है ।
- विद्युत कंपनियों को अंशपूंजी हेतु 435 करोड़ का प्रावधान है ।

9. बजट में पूंजीगत व्यय (capital expenditure) मद में 7,230 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है एवं कुल व्यय का 16 प्रतिशत है। इस मद में सड़क, पुल एवं भवन निर्माण बाबत् 3,826 करोड़ एवं सिंचाई परियोजनाओं हेतु 2,489 करोड़ का प्रावधान प्रमुख है।

10- <u>ctV dh vU; fo'k"krk,</u>

- असंगठित कर्मकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जायेगी जिसमें राज्य शासन की ओर से प्रति कर्मकार 1000 रूपयें का अंशदान दिया जायेगा । इस योजना से लगभग 3 लाख कर्मकार लाभान्वित होंगे ।
- बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु संचालित योजना में राज्य शासन द्वारा अपना हिस्सा 10 हजार से बढ़ाकर 40 हजार दिया जायेगा ।
- बेरोजगारी भत्ता 500 रूपये प्रतिमाह से बढाकर 1000 रूपये प्रतिमाह किया जायेगा ।
- नया रायपुर में विधानसभा निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है ।
- स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी विद्युतीकरण हेतु 30 करोड़ का प्रावधान है।
- अटल विहार योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है ।
- त्वरित यातायात व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो रेल की परियोजना बनाने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है ।
- राज्य में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण 2012 तथा ऑटोमोटिव उद्योग नीति बनाई गई है ।
- नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत कोटवारों के नक्सली हिंसा में अंग–भंग एवं मृत्यु की दशा में अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा ।
- 07 नये थानों की स्थापना तथा 10 थाना भवनों के निर्माण हेतु 4 करोड़ एवं 505 पुलिस कर्मचारी आवास निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान है ।
- बिलासपुर में चौथा काउंटर इंसरजेंसी एवं एण्टी टेररिस्ट स्कूल स्थापित किया जायेगा ।
- चंद्रखुरी में यातायात प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जायेगी ।

- न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु राज्यस्तरीय न्यायिक अकादमी स्थापित की जावेगी । रायपुर में तीरंदाजी एवं हॉकी तथा कोण्डागांव में खेल अकादमी की स्थापना हेतु 1.50 करोड़ का प्रावधान है ।
- वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जावेगी ।
- कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए अनुदान में वृद्धि किए जाने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- तमनार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है ।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सम्मान निधि में वृद्धि एवं मीसा बंदियों के लिए सम्मान राशि में वृद्धि के फलस्वरूप इस बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

11- ie[k foHkkxk gr iko/kku %&

¼jkf'k djkM+ e½

d-	foHkkx	2012&13 ¼c-v-½	2013&14 ¼c-v-½	ifr'kr ifjorZu	dqy ctV dk ifr'kr
vkfFkd {k=					
1	कृषि, पशुपालन तथा मछलीपालन	1,805	2,064	14	5
2	सहकारिता	272	275	01	0.62
3	ग्रामीण विकास	3,301	3,843	16	9
4	लोक निर्माण	3,116	3,668	18	8
5	सिंचाई	2,464	2,511	02	6
6	खाद्य	2,410	4,463	85	10
lkekftd {k=					
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	521	575	10	1.3
2	महिला एवं बाल विकास	1015	1,346	33	3
3	स्वास्थ्य	1,345	1,708	27	4
4	आदिम जाति कल्याण	3,080	3,503	14	8
5	स्कूल शिक्षा	4,509	5,195	15	12
6	नगरीय प्रशासन एवं विकास	1,972	2,332	18	5
lkekU; {k=					
1	गृह (पुलिस)	1,862	2,237	20	5
2	विधि एवं विधायी कार्य	215	301	40	0.7

12- djk e fj;k;r

fdlkuk d fy, %&

- धान का रोपा लगाने में उपयोग होने वाले पैडी ट्रांसप्लांटर पर प्रचलित 05 प्रतिशत वेट को समाप्त कर इसे करमुक्त किया जायेगा।

- सभी वर्ग के किसानों को कृषि ऋण से संबंधित बंधक विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क में पूर्णतः छूट दिया जायेगा ।

vke miHkkDrkvk d fy,%&

- एल.ई.डी. बल्ब एवं लाईट, इण्डक्शन कूकर, अन–ब्रांडेड टोस्ट, फ्लेवर्ड मिल्क, फूड कलर तथा 3000 रूपये तक के मोबाईल फोन एवं मोबाईल फोन के पार्टस् एवं एसेसरीज पर प्रचलित वेट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा ।

- कम्प्यूटर पार्टस् एवं यू.पी.एस. पर प्रचलित वेट की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जायेगा ।

- सौर जनित उपकरण एवं कम्पोनेन्ट पर प्रचलित 1 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जायेगा ।

- नगरीय क्षेत्र में संपत्ति के क्रय–विक्रय पर देय 1 प्रतिशत पंचायत शुल्क को समाप्त किया जायेगा ।

fo|kfFk;k d fy,%&

- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षा ऋण से संबंधित बंधक दस्तावेजों पर वर्तमान में देय 2 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क में पूर्णतः छूट दिया जायेगा ।

- छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन में लगने वाले पेपर पर प्रचलित 1 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जायेगा ।

m|kxk d fy,%&

- सड़क निर्माण के ठेके में कम्पोजिशन की दर आयाता के लिए 4 से घटाकर 2 प्रतिशत तथा अन्य ठेकेदार के लिए 2 से घटाकर 1 प्रतिशत किया जायेगा ।
- राज्य में निर्मित इंगॉट तथा बिलेट के क्रय–विक्रय पर लागू प्रवेश कर समाप्त किया जायेगा।
- टी.एम.टी. स्टील बार पर प्रचलित वेट की दर 5 से घटाकर 3 प्रतिशत किया जाएगा।
- उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले ''लाईट डीजल ऑयल'' पर प्रचलित वेट की दर 25 से घटाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।
- राज्य के बाहर से क्रय किए जाने वाले आयरन ओर, पिग आयरन एवं स्टील स्क्रेप के निर्माण में उपयोग होने की स्थिति में प्रचलित प्रवेश कर 1 से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाएगा।
- ''आयरन ओर पैलेट'' का निर्माण में उपयोग होने पर प्रचलित प्रवेश कर 1 से घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाएगा।
- राज्य के बाहर से आयातीत फर्नेश ऑयल के निर्माण में उपयोग होने पर प्रचलित प्रवेश कर 10 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।
- सोयाबीन पर प्रचलित प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा।

- सोयाबीन तेल निर्माता इकाइयों द्वारा क्रय किए जाने वाले प्लांट–मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स को प्रवेश कर से मुक्त किया जाएगा।

&%% o"k 2013&14 d ctV e fofHkUu oxk d fy, e[; vkd"k.k %%&

d"kd d fy,%&	• :i; 270 ifr fDoVy /kku ckul] dy iko/kku&1750 djkM A • lHkh ox d fdlkuk dk d`f"k _.k l lcf/kr c/kd foy[kk ij LVkEi 'kYd ij i.k NV A • xh"edkyhu /kku d fodYi d :i e nygu] frygu] eDdk d fy, fo'k"k ikRlkgu ;ktuk&10 djkM A • [krhgj etnjk dk fu%'kYd df"k midj.k fdV A • Jh fof/k ij /kku dh [krh d fy, ikRlkgu A • tfod [krh ikRlkgu&3 djkMA • iMh VkllykVj ij 50 ifr'kr vunku ,o oV dk lekIr dj djeDrA • dEckbUM gkoLVj ij :i; 50 gtkj vunku A • Mhi ,o fLidyj d fy, 37 djkM A • dy dh [krh d fy, fV'kdYpj ylc A • euikV e vkyl vulI/kku dUn A • xk ikyu] eRL; ikyu ,o m|kfudh dk;l d fy, 1 yk[k l 3 yk[k rd dk _.k 3 ifr'kr C;kt nj ij A • i'k/ku fe= ;ktuk vrxr xk&lodk dk lok vk/kkfjr ekunm; A • 90 uohu y?k flpkbl ifj;ktuk A • 242 ,fudV fuek.k A
xjhck d fy,%&	• [kk| lj{kk vf/kfu;e] yxHkx 50 yk[k ifjokj ykHkkfUor gkx] iko/kku&yxHkx 2000 djkM A • ,dy cRrh fo|r duD'ku ;ktuk e chih,y ifjokjk dk fu%'kYd 30 ;fuV fctyh ifrekg l c<kdj 40 ;fuV fctyh ifrekg A • ik"k.k lj{kk lfuf'pr dju d fy, puk ,o nky forj.k ;ktuk & 289 djkMA • 'kgjh {k=k dh mfpr eY; ndkuk e dkj ihMh,l ;ktuk A • 50 u, nky&Hkkr dUn A • i'ku ;ktuk e jkT; ljdkj dk yxHkx 3 yk[k dedkjk d fy, ifr dedkj 1 gtkj :i; dk vi'knku A • c/kd Jfedk d iuokl dh jkf'k e :i; 20 gtkj l of) dj :i; 50 gtkj A • ykyVu d ikVl dk oV eDr A
efgykvk d fy,%&	• 66 gtkj ferkfuuk d fy, Lokoycu i'ku ;ktuk

	e jkT; 'kklu dk ifr ferkfuu 1 gtkj :i;s dk vi'knku A • vkxuckMh dk;drk ,oa lgkf;dkvksa ds orZeku ekuns; es jkT; 'kklu dk fgLlk nxuk dj mUgs de'k% :i;s 1 gtkj ,oa :i;s 500 fn;k tk;xk & 86 djksMA • efgyk dk"k ls ,oa cSdks ls efgyk Lo; lgk;rk lewg dks 3 ifr'kr C;kt nj ij _.k A
cPpks ds fy,%&	• iwjd iks"k.k vkgkj ds foRrh; ekin.Mks es of) ds QyLo:i vf/kd vkcaVu & 459 djksM A • N% ekg ls rhu o"kZ mez ds dqiksf"kr cPpks dks idk Hkkstu nus ds fy, jkT;iksf"kr Qqyokjh ;kstuk &10 djksMA
fo|kfFk;ksa ds fy,%&	• mPp f'k{kk ds fo|kfFk;ksa dks f'k{kk _.k ls lcaf/kr c/kd nLrkostks ij orZeku es n; 2 ifr'kr LVkEi 'kqYd ls i.kZ NwV A • vfuok;Z cky f'k{kk vf/kdkj vf/kfu;e ds fdz;kUo;u ds fy, euyHkkr lfo/kk fufeZr djus ds fy, 125 djksM ,oa v'kkldh; 'kkykvksa es f'k{k.k 'kqYd dh ifrifrZ ds fy, 35 djksM dk iko/kku A • 25 uohu egkfo|ky; dh LFkkiuk A • 03 uohu ikfyVsfDud dh LFkkiuk A • 07 uohu vkbZ-Vh-vkbZ- dh LFkkiuk A • 02 dE;fuVh dkyst dh LFkkiuk A • 02 lkbZl lsUVj dh LFkkiuk A • lHkh chih,y vkbZ-Vh-vkbZ- ifr'k{k.kkFkhZ;ksa dks :i;s 300 ekfld Nk=ofRr A • 50 iqoZ ek/;fed 'kkyk dk gkbZLdwy es rFkk 150 gkbZLdwyks dk gk;j lsd.Mjh es mUu;uA • 100 gk;j lsd.Mjh Ldwy Hkou fuekZ.k A
vuqlfpr tkfr ,oa tutkfr oxZ@{ks= ds fy,%&	• Ldwyks es v/;;ujr vuqlfpr tkfr ,oa tutkfr Nk=ks dh jkT; Nk=ofRr dh iqpfyr nj nxuk A • 50 iqoZ ek/;fed 'kkyk rFkk 100 gkbZLdwy dk mUu;u A • 77 Nk=kokl ,oa 20 vkJe 'kkyk fuekZ.k A • Nk=koklks@vkJe 'kkykvks es 5 gtkj lhV dh of) A • 5 dU;k f'k{kk ifjlj dh LFkkiuk A • dU;k Nk=kokl@vkJeks es lqj{kk gsrq 1000 efgyk uxj lSfud dh rSukrh A • 90 Hkou foghu dU;k Nk=kokl@vkJe dk Hkou fuekZ.k A • rRdkfRd lxkgd ifjokjks dks pj.k ikndk forj.k

	gr| 15 djkM] buds leg chek gr| 2 djkM 50 yk[k dk iko/kku A • l;|Dr ou ic/ku lfefr;k dk bekjrh ydMh dh fcdh ls ikIr gkus okys ykHkka'k es 20 ifr'kr fgLlk rFkk ckal dh fcdh ls ikIr ykHkka'k es 'kr ifr'kr fgLlk A • ouHkfe ekU;rk vf/kdkj vf/kfu;e ds vrxr ftu 2 yk[k 44 gtkj ouokfl;k dk vf/kdkj i= fn, x, gs mUgs fu%'k|Yd cht ,oa mojd dh vkiwfrZ lkexh A
;|okvk ds fy,%&	• xke ipk;r Lrj ij foodkuan ;|ok ikRlkgu ;kstuk vrxr dUn dh LFkkiuk A • ;|ok dfj;j ifr'k{k.k ;kstuk vrxr fcykli|j txnyi|j es Nk=kokl Hkou fuekZ.k A • chih,y f'kf{kr cjkstxkjk dk cjkstxkjh HkRrk 500 ls c<kdj 1 gtkj :i;s ifrekg A • jk;|ij ,oa dk.Mkxko es [ksy vdkneh A • ds'kdky es LVfM;e fuekZ.k A • dEI;|Vj ikVZl ,oa ;-ih-,l- ij oV 14 ifr'kr ls ?kVkdj 5 ifr'kr A
m|fe;ks ds fy,	• lMd fuekZ.k ds Bsds es dEikft'ku dh nj vk;krk ds fy, 4 ls ?kVkdj 2 ifr'kr rFkk vU; Bsdnkj ds fy, 2 ls ?kVkdj 1 ifr'kr A • jkT; es fufeZr bxkV rFkk fcyV ds Ø;&foØ; ij ykxs iosZ'k dj lekIr A • Vh-,e-Vh- LVhy ckj ij ipfyr oV dh nj 5 ls ?kVkdj 3 ifr'kr A • m|kxks es b/ku ds :i es mi;kx gkus okys **ykbV Mhty vk;y** ij ipfyr oV dh nj 25 ls ?kVkdj 14 ifr'kr A • jkT; ds ckgj ls Ø; fd, tkus okys vk;ju vkj] fix vk;ju ,oa LVhy LØi ds fuekZ.k es mi;kx gkus dh fLFkfr es ipfyr iosZ'k dj 1 ls ?kVkdj 0-5 ifr'kr A • **vk;ju vkj isyV** dk fuekZ.k es mi;kx gkus ij ipfyr iosZ'k dj 1 ls ?kVkdj 0-5 ifr'kr A • jkT; ds ckgj ls vk;krhr QuZ'k vk;y ds fuekZ.k es mi;kx gkus ij ipfyr iosZ'k dj 10 ls ?kVkdj 5 ifr'kr A • lks;kchu ij ipfyr iosZ'k dj lekIr A • lks;kchu rsy fuekZrk bdkb;ks }kjk Ø; fd, tkus okys lykV&e'khujh rFkk Li;j ikVZl dk iosZ'k dj ls eDr A